

परिशिष्ट

(देखिये नियम -6)

फार्म - क

राज्य सरकार और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा - 2 के तहत पूर्ण अनुमति लेने का फार्म

भाग - 1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

क्रमसं ख्या	परियोजना विवरण	
1	अपेक्षित वनभूमि के लिए	
	i. प्रस्ताव और परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग (11300 मी०), चैनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम०एम०(5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम०डी०पी०ई० गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धी।
	ii. 1:5000 स्केल मैप पर वनभूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	मैप संलग्न
	iii. परियोजना की लागत	100/- (लाख में)
	iv. वनक्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	इस परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव वन क्षेत्र में नहीं है। मात्र भूमिगत पाइपलाइन बिछाये जाने में संरक्षित वनभूमि से होकर गुजरेगा। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।
	v. लागत लाभ विशेषण(संलग्न किये जाने हेतु)	लागू नहीं।
	vi. रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना	50
2	कुल अपेक्षित भूमिका उद्देश्य वार विवरण	0.6215 हे० संक्षरित वन, जो जनपद बरेली की जनता को सक्षम सीएनजी सुविधाओं का उद्देश्यके लिए गैर वानिकी परियोजना हेतु वांछित है।
3	परियोजना के कारण लोगों के विस्थापन का विवरण, यदि कोई हो	
	i. परिवारों की संख्या	नहीं
	ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या	नहीं

Jitendra Gaur
Jitendra Gaur
Manager Project
Central U.P. Gas
Bareilly

	iii. पुनर्वास योजना।	नहीं
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत मंजूरी की आवश्यकता है? हाँ/नहीं।	नहीं
5	प्रतिपूरक वनिकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्डप्रतिपूरक वनिकरण की लागत के साथ-साथ राज्यसरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षाआदि में पुनः वनिकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धतासंलग्नकी जाये)।	प्रमाण पत्र संलग्न है
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न आपेक्षित प्रमाण पत्रों। दस्तावेजों का ब्यौरा	विषय सूची संलग्न है

हस्ताक्षर :

Jitendra

Jitendra Gautam
Manager Projects

तिथि: 3rd Jan 2025

स्थान: बरैली

नाम(साफ अक्षरोंमें) : JITENDRA GAUTAM
पदनाम : MANAGER PROJECT
पता (प्रयोक्ताएजेंसी) : सेन्ट्रल यूपी गैस लिमिटेड